न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 09/2020

अपीलार्थीपक्ष

हड़मानराम पुत्र पन्नाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम गंगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीपक्ष

1. श्रीमती निर्मला सोनी पत्नी ओमप्रकाश सोनी, जाति माहेश्वरी, निवासी– 113. पी0 डब्ल्यू0 डी0 कॉलोनी, रिक्तियां भैरूजी मन्दिर के पास, जोधपुर।
2. तहसीलदार (भू0अ0) लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/75 दिनांक 28.01.2020 जो उप तहसीलदार झंवर द्वारा ग्राम बुझावड़ के खसरा नं0 423 एवं 421 की पत्थरगढी करने के लिए टीम गठित कर आदेश दिया गया के विरूद्ध।

– – –

उपस्थिति :–

1. श्री लाघूराम पूनिया अधिवक्ता (अपीलार्थी)।
2. श्री एम0 एस0 राजपुरोहित अधिवक्ता (प्रत्यर्थी संख्या 1)।

–: आदेश :– दिनांक :–03.03.2020

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/75 दिनांक 28.01.2020 जो उप तहसीलदार झंवर द्वारा ग्राम बुझावड़ के खसरा नं0 423 एवं 421 की पत्थरगढी करने के लिए टीम गठित कर आदेश दिया गया, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुई। अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम बुझवाड के भूमि खसरा नं0 422 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा का अपीलार्थी सहखातेदार काश्तकार है जिसके पूर्वी पड़ोस में खसरा नं0 423 सीमा जोड़ पड़ता है। जिसकी पत्थरगढी के लिए उप तहसीलदार झंवर ने टीम गठित कर दिनांक 28.01.2020 को आदेश पारित कर दिया तथा मौके पर उक्त टीम दिनांक 14.02.2020 को मौके पर तथा विवाद होने

की पूर्ण सम्भावना होना व्यक्त करते हुए पुलिस सहयोग से पत्थरगढ़ी करवाकर पालना रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, से व्यथित होकर अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख उप तहसीलदार झंवर से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एम0 एस0 राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी को उप तहसीलदार झंवर ने दिनांक 14.02.2020 को उपस्थित रहने का नोटिस दिया जिस पर अपीलार्थी मौके पर गया। वहां पर उप तहसीलदार झंवर, भू अभिलेख निरीक्षक बोरानाडा बिना पैमाइश किये अपीलार्थी की पुरानी तारबन्दी को हटाकर अपीलार्थी की फसल के अन्दर पत्थरगढी करने लगे। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी की कार्यवाही का कोई नोटिस नहीं मिला एवं तहसीलदार लूणी द्वारा बताई गई पैमाइश फर्द एक तरफा तैयार की गई। अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी लूणी के पत्थरगढी के आदेश दिनांक 21.01.2020 की नकल प्राप्त की जिससे ज्ञात हुआ कि उपखण्ड अधिकारी लूणी ने उप तहसीलदार झंवर को कोई आदेश नहीं दिया। इस प्रकार उप तहसीलदार झंवर द्वारा टीम गठित करने का जो आदेश पारित किया गया है वो अनाधिकृत होने से विधि विरूद्ध है। उप तहसीलदार झंवर द्वारा आदेश पारित करते समय विधि के नियमों का पालन नहीं किया गया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार झंवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि जिस आदेश के विरूद्ध न्यायालय में अपील पेश की गई है। उसकी पालना दिनांक 17.02.020 को हो गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निष्फल हो गया है। अपील मात्र प्रत्यर्थी को परेशान करने के लिए की गयी है। उप तहसीलदार झंवर के जिस आदेश के विरूद्ध न्यायालय में अपील पेश की गई है, उक्त आदेश उप तहसीलदार झंवर ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व विधिक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 21.01.2020 व तहसीलदार लूणी के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2020/4152 दिनांक 22.01.2020 के अनुसरण में जारी किया गया इसलिए अपीलार्थी को सहायक

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के आदेश की सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। इस कारण अपीलार्थी की अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति यह है कि उप तहसीलदार झंवर ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के राजस्व विधिक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 21.01.2020 व तहसीलदार लूणी के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2020/4152 दिनांक 22.01.2020 के अनुसरण में आदेश जारी किया है, जो न्यायसंगत है। अपीलार्थी को यदि कोई उजर एतराज है तो वह सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के आदेश की सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.02.2020 को अपास्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जाये।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.06.17 10:54:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: